सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 06, बुधवार, *शाके* 1945-अप्रेल 26, 2023

Vaisakha 06, Wednesday , Saka 1945- April 26, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 05, 2023

संख्या प.4(17)कृषि/ ग्रुप -2/2016 :- जैसा कि राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिसूचना क्रमांक प.4(8)कृषि/ ग्रुप-2/2022 जयपुर दिनांक 21 मार्च 2023 जारी कर राज्य सरकार की पूर्व अधिसूचना प.4(17)कृषि/ ग्रुप-2/2016 जयपुर दिनांक 08 सितम्बर 2016 के द्वारा घोषित कृषि उपज मण्डी समिति बगरू जयपुर के क्षेत्र में से पंचायत समिति दूदू की 19 ग्राम पंचायते क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नानण, पडासोली, बिंगोलाव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकलां, सुनाडियां, हरसोली, तथा पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायतें अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकलां, गाडोता, गिदानी, गुढ़ाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बोराज, महला, मांगलवाडा, मोखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा पंचायत समिति सांभर लेक की 21 ग्राम पंचायतें सिनोदिया, मुण्डवाडा, काजीपुरा, खण्डेल, जयसिंहपुरा, त्योद, तेजाका बास, नौरंगपुरा, आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरटोडी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनौदा, श्रीरामपुरा, खैडीराम के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार नव गठित कृषि उपज मण्डी समिति बगरू की विज्ञप्ति क्रमांक प.4(17)कृषि/ ग्रुप-2/2016 दिनांक 08 सितम्बर 2016 में घोषित क्षेत्र में से पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने के उपरान्त पंचायत समिति दूदू की 19 ग्राम पंचायतें क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नानण, पडासोली, बिगालोव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकलां, सुनाडियां, हरसोली, तथा पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायतें अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकलां, गाडोता, गिदानी, गुढ़ाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बोराज, महला, मांगलवाडा, मोखमपुरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा पंचायत समिति सांभरलेक की 12 ग्राम पंचायतें आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरटोडी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनौदा, श्रीरामपुरा, खैडीराम एवं नगरपालिका क्षेत्र नरायना तथा गौण मण्डी यार्ड नरायना के सम्पूर्ण क्षेत्र सहित कृषि उपज मण्डी समिति दूदू के समस्त मण्डी क्षेत्र को नवीन कृषि उपज मण्डी समिति बगरू के क्षेत्र से पृथक किया जाता है।

इसी क्रम में कृषि उपज मण्डी समिति बगरू की अधिसूचना प.4(17)कृषि/ ग्रुप-2/2016 जयपुर दिनांक 08 सितम्बर 2016 द्वारा घोषित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) की पंचायत समिति सांगानेर की 14 ग्राम पंचायतो क्रमशः 1. बलिवा 2. बडी का बास 3. श्रीराम की नांगल 4. आशावाला 5. वाटिका 6. दादिया 7. लाखना 8. कपूरवाला 9. खेडी गोकुलपुरा 10. मोहनपुरा 11. मदाऊ 12. जयसिंहपुरा 13. जगन्नाथपुरा 14. नेवटा को नवीन घोषित कृषि उपज मण्डी समिति बगरू के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है।

अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राज-पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत समिति सांगानेर की 26 ग्राम पंचायतें क्रमशः 1. अजयराजपुरा 2. पवालिया 3. भापुरा 4. महापुरा 5. दहमीकला 6. भम्भोरिया 7. देवलिया 8. ठीकरिया 9. कालवाड 10. अवानिया 11. नृहसिंहपुरा 12. रामपुरा ऊती 13. बलिवा 14. बडी का बास 15. श्रीराम की नांगल 16. आशावाला 17. वाटिका 18. दादिया 19. लाखना 20. कपूरवाला 21. खेडी गोकुलपुरा 22. मोहनपुरा 23. मदाऊ 24. जयसिंहपुरा 25. जगन्नाथपुरा 26. नेवटा एवं पंचायत समिति जोबनेर की 5 ग्राम पंचायतें क्रमशः 1. आइदान का बास 2. आसलपुर 3. ढाणी बोराज 4. ढ़ीढा 5. बोबास तथा नगर पालिका क्षेत्र बगरू का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति बगरू का मण्डी क्षेत्र होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।